

7/11/24

पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित। प्रार्थी अधिवक्ता व अप्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई। प्रार्थीगण अधिवक्ता व अप्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस एवं तर्कों को सुना गया। उपयपक्षकारान की बहस पर मनन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन के उपरान्त न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि पूर्व में दिनांक 14.08.2023 को जारी अस्थायी निषेधाज्ञा माल ग्राम प्रेमपुरा तह0 पीपल्दा में आराजी खसरा नं0 129/793 रकबा 1.23 है0 खसरा नंबर 273 रकबा 0.06 है0 खसरा नंबर 484 रकबा 0.35 है0 खसरा नंबर 89 पूर्वी रकबा 1.55 है0 आराजी कुल किता 4 रकबा 3.19 है0 आ0टी0एक्ट 212 के अन्तर्गत शर्तों को पूर्ण नहीं करता है। अतः प्रार्थी का प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 212 अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 7/11/24 को सरे इजलाश सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो

